PAPER-III HUMAN RIGHTS & DUTIES

Signature and Name of Invigilator

1. (Signature)	-
(Name)	_ Roll No.
2. (Signature)	(In figures as per admission card)
(Name)	_
	Roll No
D 9 2 1 1	(In words)

Time : $2^{1}/_{2}$ hours] [Maximum Marks : 200

Number of Pages in this Booklet: 32

Instructions for the Candidates

- 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
- Answer to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

No Additional Sheets are to be used.

- 3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below:
 - (i) To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
 - (ii) Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given.
- 4. Read instructions given inside carefully.
- 5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
- 6. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, or use abusive language or employ any other unfair means, you will render yourself liable to disqualification.
- 7. You have to return the test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
- 8. Use only Blue/Black Ball point pen.
- 9. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

Number of Ouestions in this Booklet: 19

- 1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए ।
- लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुए रिक्त स्थान पर ही लिखिये ।
 इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है ।
- उ. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी । पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्निलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे, जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
 - (i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी कागज की सील को फाड़ लें । खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें ।
 - (ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ।
- उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मुल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है ।
- जियदि आप उत्तर-पुस्तिका पर नियत स्थान के अलावा अपना नाम, रोल नम्बर, फोन नम्बर या कोई भी ऐसा चिह्न जिससे आपकी पहचान हो सके, अंकित करते हैं अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, या कोई अन्य अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं ।
- 7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें ।
- केवल नीले/काले बाल प्वाईट पेन का ही इस्तेमाल करें ।
- ि किसी भी प्रकार का संगणक (केलकुलेटर) या लॉग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है ।

D-92-11 P.T.O.

HUMAN RIGHTS & DUTIES मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य

PAPER – III प्रश्नपत्र – III

Note: This paper is of **two hundred (200)** marks containing **four (4)** sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट: यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंकों का है एवं इसमें चार (4) खंड हैं । अभ्यर्थियों को इनमें समाहित प्रश्नों के उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है ।

SECTION - I

खंड 🗕 🛭

Note: This section consists **two** essay type questions of **twenty** (20) marks each, to be answered in about **five hundred** (500) words each. $(2 \times 20 = 40 \text{ marks})$

नोट: इस खंड में बीस—बीस (20) अंकों के दो निबन्धात्मक प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग पाँच सौ (500) शब्दों में अपेक्षित है । ($2 \times 20 = 40$ अंक)

1. Discuss the features of the UN Convention on the protection of Human Rights of Refugees.

शरणार्थियों के मानवाधिकारों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय की विशेषताओं की विवेचना कीजिए ।

OR / अथवा

Discuss the important features of Islamic Declaration of Human Rights and compare it with UDHR – 1948.


मानवाधिकारों की इस्लामी घोषणा पत्र की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना कीजिए और साथ में उनकी तुलना मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) से कीजिए ।

OR / अथवा

Discuss the importance of 'Human Rights Education' in India. भारत में 'मानवाधिकार शिक्षा' के महत्त्व की विवेचना कीजिए ।



2.	Discuss the impact of Trade Related Intellectual Property Rights (TRIP's) Agreement, 1995 on Patent Law in India.
	भारत में एकस्व कानून पर ट्रेड रिलेटिड इंटिलेक्च्यूअल प्रोपर्टी राइट्स (ट्रिप्स / टी.आर.आइ.पी.'एस) एग्रीमेंट, 1995 के प्रभाव की विवेचना कीजिए ।
	OR / अथवा
	Write an essay on Globalization, Liberalization and Privatization of Indian Economy and Human Rights in Information Age. भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण और सूचना युग में मानवाधिकारों पर निबन्ध
	लिखिए।
	OR / अथवा
	Critically analyse the role of NGOs and Protection of Human Rights relating to Land Acquisition of Farmer's in India.
	भारत में खेतिहरों (किसानों) की भूमि के अधिग्रहण से सम्बन्धित मानवाधिकारों की सुरक्षा और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए ।











SECTION – III खंड – III

Note:	This section contains nine (9) questions of ten (10) marks each, to be answered in about fifty (50) words. $(9 \times 10 = 90 \text{ Marks})$
नोट :	इस खंड में दस-दस (10-10) अंकों के नौ (9) प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग पचास (50) शब्दों में अपेक्षित है । (9 × 10 = 90 अंक)
6.	Discuss the importance of "Patriarchy" in Indian context.
	भारतीय संदर्भ में पितृतन्त्र के महत्त्व की विवेचना कीजिए ।

7.	Write a note on "Anti-colonial Movements". "उपनिवेशीय-विरोधी आन्दोलनों" पर टिप्पणी लिखिए ।
8.	How and in what manner 'Prostitution' is an issue of Human Rights ? Explain. वेश्यावृत्ति कैसे और किस ढंग से मानवाधिकारों का मुद्दा है ? व्याख्या कीजिए ।

20

9.	Discuss the jurisdiction of "International Criminal Court of Justice", relating to protection of Human Rights. मानवाधिकारों के संरक्षण से सम्बन्धित "अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय" की अधिकारिता की विवेचना कीजिए।

10.	Mention briefly the features of the African Charter of Human and People's Rights 1981, relating to duties and rights. कर्त्तव्यों एवं अधिकारों से सम्बन्धित मानव एवं लोक अधिकारों के अफ्रीकन चार्टर, 1981 की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करें।
 	-

11.	Discuss the relationship between Globalization and Human Rights. वैश्वीकरण और मानवाधिकारों के बीच सम्बन्ध की विवेचना करें ।
12.	In what way NGOs can help to protect Human Rights in a democratic society? लोकतान्त्रिक समाज में मानवाधिकारों के संरक्षण में गैर-सरकारी संगठन किस तरह से सहायता कर सकते हैं?

23

P.T.O.

D-92-11

13.	Outline the ethos of "Compensatory Justice" as developed by the Supreme Court of India. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित किये गये 'प्रतिकारात्मक न्याय' के लोकाचारों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये ।

14. Discuss the rights of the acc दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपन	cused persons provided under Criminal Procedure Code. बंधित, अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकारों की विवेचना कीजिए ।

SECTION - IV

खंड **– IV**

Note: This section contains **five (5)** questions of **five (5)** marks each based on the following passage. Each question should be answered in about **thirty (30)** words.

 $(5 \times 5 = 25 \text{ Marks})$

नोट : इस खंड में निम्नलिखित परिच्छेद पर आधारित **पाँच** (5) प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **तीस** (30) शब्दों में अपेक्षित है । प्रत्येक प्रश्न **पाँच** (5) अंकों का है । (5 × 5 = 25 अंक)

To make the human rights a reality for the sections of society without any discrimination of whatsoever, it is necessary that steps should be taken to sensitize the authorities who are the protector of those rights and who are expected to play their designated role, viz., the civil servants, judicial officers, police, para-military forces, etc. to change their mind-set and be made aware of their duties in protecting and enforcing the human rights. For this education of human rights at all levels will be very significant, starting from the school-level. Youths and educators should be trained to contribute constructively towards the protection of human rights and acquire necessary skills and professional knowledge in their sphere of work. This requires properly structured courses that are carried out effectively to create salutary impact to improve the quality of response of the concerned persons in a given human rights situation and human rights culture.

The enforcement agencies, like judiciary, police and armed forces should be exposed to discussions and training courses on human rights through seminars/symposia/collogiums which should be organized on a regular basis of these agencies."

मानवाधिकारों को समाज के भिन्न खंडों के लिए बिना किसी प्रकार के भेदभाव के वास्तविकता बनाने के लिये, इन अधिकारों के संरक्षक प्राधिकारियों के संवेदीकरण करने हेतु कदम उठाने चाहिए । यह प्राधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी, पुलिस, अर्ध सैनिक बलों के अधिकारी इत्यादि । उनका नज़रिया बदलने और

मानवाधिकारों के संरक्षण और उन्हें लागू करने में इन अधिकारियों को अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिये उनका संवेदीकरण आवश्यक है । युवाओं और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे वह मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति लाभकारी योगदान दे सकें और अपने कार्यक्षेत्र में आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकें । विद्यालय स्तर से प्रारम्भ करते हुए, सब स्तरों पर मानवाधिकार शिक्षा महत्त्वपूर्ण होगी । इसके लिए उचित प्रकार से संरचित पाठ्यक्रम होने चाहिए जो प्रभावपूर्णता तरीके से चलाये जाएँ जिससे मानवाधिकारों की प्रदत्त स्थिति और मानवाधिकार संस्कृति से सम्बन्धित व्यक्तियों की प्रतिक्रिया की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके ।

प्रवर्तनकारी एजेन्सियों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, सशस्त्र सेना, अर्ध सैनिक बल को गोष्ठियों, औपचारिक वार्तालाप, विचार गोष्ठियों के माध्यम से मानवाधिकारों पर विचार और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से रूबरू कराया जाए । यह सब इन संस्थाओं के लिये नियमित रूप से आयोजित किये जाने चाहिए ।

15.	How Human Rights can be made a reality for society?		
	समाज के लिये मानवाधिकारों को वास्तविकता किस प्रकार बनाया जा सकता है ?		

16.	What is designated role of authorities to enforce Human Rights? मानवाधिकारों को प्रवर्तित करने के लिये प्राधिकारियों की निर्दिष्ट भूमिका क्या है ?
17.	What is significance of education of Human Rights ? मानवाधिकार शिक्षा का क्या महत्त्व है ?

18.	Why properly structured courses are necessary for Human Rights culture ? मानवाधिकार संस्कृति के लिये उचित रूप से संरचित पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है ?

19.	Which exposure is needed for the enforcement agencies ? प्रवर्तन एजेन्सियों के लिये किससे रूबरू होना आवश्यक है ?

Space For Rough Work

FOR OFFICE USE ONLY						
Marks	Marks Obtained					
Question Number	Marks Obtained					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

(in figures)	
Signature & Name of the Coordinator	
Signature & Name of the Coordinator	
(Evaluation) Date	